न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 21/25

जीसीएमएस : 2025/354

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री फुलाराम जाति बिश्नोई निवासी 12 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज0)। –:प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र उपनिवेशन अधि0 की धारा 8 (2)</u>

तारीख रजू:– 28.07.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री जितेन्द्र प्रसाद सोनी प्रार्थी अधि.।
2. राजपेरोकार सरकार

––निर्णय–– दिनांक:– 23.02.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र उपनिवेशन अधि0 की धारा 8 (2) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वंय के नाम से तहसील रायसिंहनगर के वाके चक 12 टी.के के खाता सं0 16 का मु0 नं0 33 प0नं0 208/301 में किला नं0 4 ता 7 प्रत्येक में 0.253 है0, 14 ता 15 प्रत्येक में 0.253 है0 कुल 1.581 है0 नहरी भूमि है। जो कि उक्त समस्त रकबा मुझ प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त में है मुझ मिकर की उपरोक्त भूमि में आने–जाने के वास्ते चक 12 टीके का मुरब्बा नं0 32 के किला नं0 1 ता 5 के रास्ते में से होकर आना जाना पडता है। चक 12 टीके का मु0 नं0 32 के किला नं0 1 ता 5 में मौका पर रास्ता चल रहा है। और करीबन 50–60 वर्ष से पूर्व से ही रास्ता चल रहा है। चक 12 टीके के का मु0 नं0 32 के किला नं0 1 ता 5 में राजस्व रिकॉर्ड में खाला दर्ज है परन्तु किला नं0 1 ता 5 में मौका पर कोई खाला नहीं चल रहा है। चक 12 टीके का मु0नं0 32 के किला नं0 21 ता 25 में सी.सी.ए रिकॉर्ड में खाला दर्ज है और मौका पर किला नं0 21 ता 25 में खाला चल रहा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में खाला का इन्द्राज किला नं0 1 ता 5 में दर्ज है। रास्ता के स्थान पर सहवन से किला नं.0 1 ता 5 में खाला दर्ज कर दिया गया है जबकि मौका पर किला नं0 1 ता 5 में रास्ता चल रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किला नं0 1 ता 5 में दर्ज खाला को किला नं0 21 ता 25 में राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करवाना चाहता हूँ। मैं वादी चक 12 टीके का मुरब्बा नं0 32 में किला नं0 1 ता 5 में दर्ज खाला के स्थान पर रास्ता दर्ज करवाना चाहता हूँ। प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व अन्दर मियाद व उचित कोर्ट [illegible] पत्र में कोई व्यथित पक्षकार नहीं है। इसलिए औपच[illegible] से तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को पक्षकार [illegible] प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसील [illegible] टी.के का मुरब्बा नं0 32 का प0नं0 2[illegible] 1 ता 5 में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:37:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

खाला को किला नं0 21 ता 25 में दर्ज करने व किला नं0 1 ता 5 में दर्ज खाला के स्थान पर रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर ने मौका रिपोर्ट पेश करने लिए पत्र जारी किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने सरकार की तरफ अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1516 दिनांक 04.03.2025 की मौका रिपोर्ट मुताबिक चक 12 टी.के के खाता संख्या 16 प0नं0 208/301 मु0नं0 33 के किला नं0 4 ता 7 की 1.012, 14 ता 16 की 0.570 कुल 1.581 है0 नहरी भूमि ओमप्रकाश पुत्र फूलाराम जाति बिश्नोई साकिन 12 टी.के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा चक 12 टी.के के प0नं0 207/301 मु0नं0 32 के किला नं0 1 ता 5 में दर्ज खाला को किला नं0 21 ता 25 में दर्ज करने व किला नं0 1 ता 5 में दर्ज खाला के स्थान पर रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करने की मांग की है। मुताबिक रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक चक 12 टी.के के प0नं0 207/301 मु0नं0 32 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 कुल 0.125 है0 खाला दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन मौका पर उक्त खाला चालू नहीं है उक्त दर्ज खाले की जगह पर मौका पर रास्ता चल रहा है तथा इसी मु0नं0 32 के किला नं0 21 ता 25 में सिंचाई हेतु पक्का खाला बना हुआ है परन्तु रिकॉर्ड में खाला दर्ज नहीं है। सिंचाई विभाग के पत्र दिनांक 02.07.2024 के अनुसार चक 12 टीके के प0नं0 207/301 मु0नं0 32 के किला नं0 1 ता 5 में सी.सी.ए प्लान में खाला नहीं है इसी मु0नं0 32 के किला नं0 21 ता 25 में खाला चल रहा है। अतः चक 12 टी.के के प0नं0 207/301 मु0नं0 32 के किला नं0 1 ता 5 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खाला को निरस्त कर खाले की जगह मौका पर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करना तथा किला नं0 21 ता 25 खातेदारी भूमि में मौका पर चल रहे पक्के निर्मित खाला को स्वीकृत किया जाना उचित है।

3. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजकाज रेफर नं. 20527723 दिनांक 13.02.2026 से अवगत करवाया कि मुताबिक सहायक अभियंता जल संसाधन उपखंड रायसिंहनगर के चक 12 टीके के मु.नं. 32 प.नं. 207/301 के कि.नं. 21 ता 25 में खाल प्रचलित होने एवं कि.नं. 5–6–15–16–25 मे रास्ता प्रचलित होने के तथ्य का समावेश करते हुये मुरब्बा नं. 32 प.नं. 207/301 के कि.नं. 1 ता 5 में खाल स्वीकृत नहीं होने तथा मौका पर प्रचलित नहीं होने के तथ्य का समावेश कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका मिलान विभागीय अभिलेख से किये जाने पर प्रस्तुत तथ्य सही होना पाया गया है।

4. बलजिन्द्र कौर पत्नी रेशमसिंह जाति [illegible] साकिन 23 पीएसए ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर [illegible] किया [illegible] के नाम से चक 12 टीके का मु.नं. 32 प.नं. 207/301 के कि.नं. [illegible] 2/.228, 3/.228, 4/.228, 5/.177 [illegible] रकबा जिसमें वर्तमान में खाला दर्शाया गया है में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुझ मिकरा की पूर्ण सहमति है मैं मिकरा भविष्य मे [illegible] प्रकार का कोई उजर व [illegible] नहीं करूगी और ना ही मेरा कोई वारिस किसी प्रकार से उजर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:37:48 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

व एतराज करेगा। अगर मैं मिकरा भविष्य में किसी प्रकार का उजर व एतराज करती हूं तो व अमान्य होगा।

5. बहस राजपेराकार एवं प्राथी अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार करने के लिए तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया एवं मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया। अप्रार्थी की तरफ से राजपेरोकार ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं रिकार्ड तक प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर सहमति दी।

6. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने मु.नं. 32 के कि.नं. 1 ता 5 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाला के स्थान पर चालू रास्ता को दर्ज करने की अनुशषा की है, अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि मु. नं. 32 प.नं. 207/301 के कि.नं. 1 ता 5 मे खाला स्वीकृत नहीं है और न ही मौके पर चालू है विभागीय अभिलेख से किये मिलन से सही है बलजिन्द्र कौर पत्नी रेशमसिंह ने भी शपथ पत्र में चक 12 टीके का मु.नं. 32 प.नं. 207/301 के कि.नं. 1/.228, 2/.228, 3/.228, 4/.228, 5/.177 का रकबा छोड़कर शेष रकबा जिसमें वर्तमान में खाला दर्शाया गया है में रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति दी है अतः तहसीलदार रायसिंहनगर, अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर एवं बलजिन्द्रकौर पत्नी रेशमसिंह की सहमति के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाना विधि संमत समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) उपनिवेशन अधि. स्वीकार किया जाकर **चक 12 टी.के के प0नं0 207/301 मु0नं0 32 के किला नं0 1 ता 5 राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाला के स्थान पर गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:37:48 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner